उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय
जयपुर
दिनांक 14.11.2023

संख्या– उ.प.रे./प्र.का./संरक्षा/सं.प./12/24

मण्डल रेल प्रबन्धक . अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर

मुख्यालय संरक्षा सर्कुलर 12/2024

3.61. धुंध, कोहरे या तूफानी मौसम में, जब स्पष्ट दिखाई नही देता है पटाखे रखना.–

(1) धुंध, कोहरे या तूफानी मौसम में, जब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, और आने वाली गाडी के लोको पायलट को किसी सिगनल के स्थान की सूचना देना आवश्यक है। तो स्टेशन मास्टर द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त रेल सेवक, संबंधित सिगनल या सिगनलों से कम से कम 270 मीटर बाहर लाइन पर दो पटाखे एक दूसरे से लगभग 10 मीटर की दूरी पर रखेगा।

(2)(क) स्टेशन मास्टर उप नियम (1) के उपबंधों का पालन, स्वविवेकानुसार कर सकता है, किंतु यदि किसी भी कारणवश कम से कम 180 मीटर की दूरी से या रेलवे बोर्ड द्वारा स्पष्ट रूप से मंजूर की गई उससे कम दूरी से दृश्यता परीक्षा के लिए निर्धारित वस्तु को न देख पाये तो वह अनिवार्यतः इन उपबन्धों का पालन करेगा।

(ख) दृश्यता परीक्षा वस्तु निम्नलिखित में से कोई भी हो सकती है,–

(i) इस काम के लिए लगाया गया खंभा, जिस पर रात के समय बत्ती जलती रहे या

(ii) विशेष अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किसी स्थावर सेमाफोर सिगनल की भुजा दिन में या उस सिगनल की बत्ती या पीछे की बत्ती रात्रि में, या

(iii) दिन और रात्रि दोनों में, विशेष अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट स्थावर रंगीन बत्ती सिगनल का प्रकाश।

स.नि.3.61.(1)(क) स्टेशन संचालन नियमों में दृश्यता जाँच वस्तु (विजिबिलिटी टेस्ट ऑबजेक्ट) के बारे में अवश्य निर्दिष्ट किया जाना चाहिये।

(ख) उन स्टेशनों को छोड़कर जिनके स्टेशन संचालन नियमों में किसी विशेष सिगनल या सिगनल की बत्ती या किसी सिगनल के पीछे की बत्ती को दृश्यता जाँच वस्तु (विजिबिलिटी टेस्ट ऑबजेक्ट) निर्धारित किया गया हो, अन्य सभी स्टेशनों पर दृश्यता जाँच खंभा (विजिबिलिटी टेस्ट पोस्ट) लगाया जायेगा। जो स्टेशन ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहाँ प्रायः कोहरा या आँधी या अधिक वर्षा रहती है, उस पर ऐसे खंभे सदा अलग से लगाये जाने चाहिये।

(ग) दृश्यता जाँच खंभा (विजिबिलिटी टेस्ट पोस्ट), एक बेकार स्लीपर जमीन में सीधा खड़ा करके गाड़कर लगाया जायेगा। यह स्लीपर क्रमशः काली और सफेद पट्टियों से रंगा जायेगा और रात में इस पर रोशनी रहेगी। यह खंभा स्टेशन के दोनों ओर स्टेशन मास्टर के कार्यालय के मध्य भाग से 180 मीटर की दूरी पर लगाया जायेगा।

(घ) कोहरे या तूफानी मौसम या धूल भरी आँधियों में जब स्टेशन के सिगनल दिखायी न दें तो ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर स्वयं यह तसल्ली करेगा कि स्टेशन के सिगनलों को जला दिया गया है और वह दोनों दिशाओं के उन फोग सिगनल पोस्टों पर जो कि प्रथम रोक सिगनल से 270 मीटर पर लगे हैं, एक–एक प्रशिक्षित व्यक्ति पटाखा (कोहरा) सिगनल कर्मचारी के रूप में काम करने के लिए भेजेगा। डबल डिस्टेंट सिगनल वाले स्टेशनों तथा उन स्टेशनों पर फोग सिगनल पोस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है जहाँ पटाखों को लगाने की जरूरत नहीं है।

(ड.) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को 20 पटाखा (कोहरा) सिगनल दिये जायेंगे। कोहरा सिगनलमेन 2 पटाखों को एक दूसरे से 10 मीटर के फासले पर रेल शीर्ष के मध्य में इस प्रकार रखेगा कि उसका लेबल या ब्रांड ऊपर की ओर रहे। पटाखों को पटरी की ऊपरी फ्लैंज के चारों ओर क्लेम्प को मोड़कर जकड़ दिया जायेगा। ये पटाखे इंजन के नीचे विस्फोट होकर लोको पायलट को स्टेशन के आउटर, वार्नर, दूर सिगनल (जैसी भी स्थिति हो) निकट होने की चेतावनी देंगे।

(च) इस प्रकार पटरी पर रखे गये उन पटाखों के ऊपर से प्रत्येक गाड़ी के गुजरने के बाद कोहरा सिगनल कर्मचारी तुरन्त उन्हें हटाकर दो नये पटाखे रख देंगे।

(छ) जब किसी रेल कर्मचारी ने एक या अधिक पटाखे लाइन पर लगा दिये हों तो आने वाले इंजन या गाड़ी से पटाखों के विस्फोट से पहले वह 45 मीटर के सुरक्षा दायरे से बाहर हट जायेगा। यदि कोई व्यक्ति लाइन के पास हो तो वह, परिस्थितियों के अनुसार जहाँ तक संभव हो, उसे भी सुरक्षा दायरे से बाहर खड़ा होने की चेतावनी देने के लिए भी जिम्मेदार होगा। 45 मीटर के सुरक्षा दायरे से बाहर खड़ा होने वाला कर्मचारी, पटाखों पर से गुजरने वाला इंजन, गाड़ी या माल–डिब्बे से जहाँ तक संभव हो सके पीछे हट कर खड़ा होगा।

(ज) फॉग सिगनल पोस्ट, फॉग सिगनल व फॉग सिगनलमैन के स्थान नीचे दिये गये चित्र में दिखाये गये हैं–

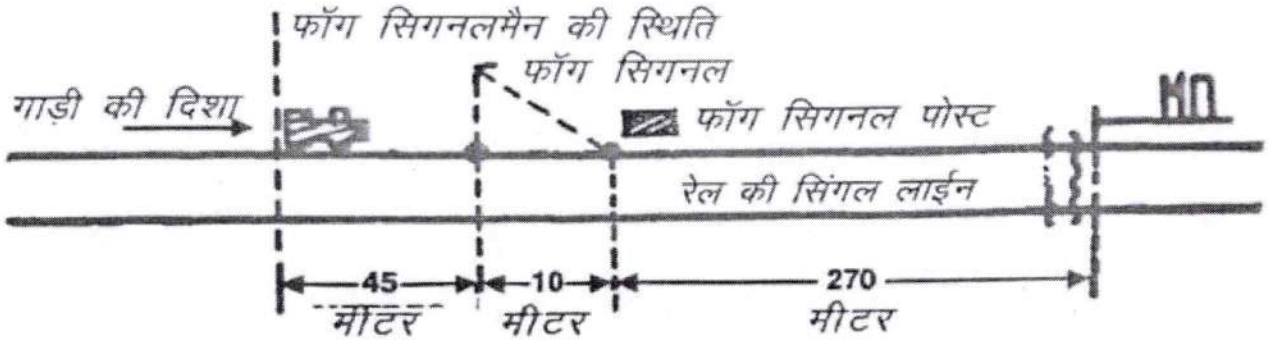

(झ) पटाखा (फॉग) सिगनलों के साथ भेजा गया प्रत्येक प्रशिक्षित कर्मचारी अपने साथ एक जलता हुआ हाथ सिगनल लेम्प ले जायेगा।

यदि फॉग सिगनलमैन को लाइन पर कोई रुकावट दिखाई दे तो वह सामान्य नियम 3.53 के अनुसार उस दिशा से "रुको" हैंड सिगनल दिखायेगा जिस दिशा से गाड़ी आने की सम्भावना हो या आ रही हो। इकहरी लाइन सेक्शन पर स्टेशन से जाने वाली गाड़ी के लिए पटाखा (फॉग) सिगनल लगाने के लिए भेजा जायेगा फॉग सिगनल मेन सामान्य नियम 3.54 के अनुसार लोको पायलट को "आगे बढ़ो" हैंड सिगनल दिखायेगा।

(ञ) जैसे ही ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को सहायक नियम 3.61(1)(घ) के अनुसार काम करना आवश्यक हो जाये, वह स्टेशन के चतुर्थ श्रेणी के दो ऐसे कर्मचारियों को जो ड्यूटी पर न हो, ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर विश्राम से बुलाये दो कर्मचारियों को यह देखने के लिए कि सिगनल जल रहे हैं और स्टेशन सीमा के दोनों सिरों पर कोहरा सिगनल ड्यूटी के लिए दो प्रशिक्षित कर्मचारियों को भेज सकता है या वही इन्हीं कार्यों के लिए ड्यूटी पर उपस्थित कर्मचारियों में से दो का उपयोग कर सकता है या यदि वरि. सेक्शन इंजीनियर (रेल पथ) द्वारा इस कार्य के लिए तैनात गैंगमेन उपलब्ध हों तो वह उनमें से दो का इन ड्यूटी के लिए उपयोग कर सकता है परन्तु किसी भी स्थिति में कोहरा सिगनल खंभे पर जो प्रशिक्षित कर्मचारी भेजे जायेंगे रेलवे के नियमित कर्मचारी ही होने चाहिये "एवजी" नहीं।

(ट) सहायक नियम 3.61(1)(ञ) की कार्यविधि ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर की आपात कालीन कार्यवाही से संबंध रखती है। जिन स्टेशनों पर लगातार कोहरा पड़ता हो उनके नाम मण्डल रेल प्रबन्धक अधिसूचित करेंगे। ऐसे प्रत्येक स्टेशन पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से चार को (यदि इतनी संख्या में उपलब्ध न हो तो वह संख्या हर स्टेशन पर वरि. सेक्शन इंजीनियर–रेलपथ द्वारा नियुक्त गैंगमैनों में से एक या अधिकतम दो गैंगमैनों से पूरी की जा सकती है) फॉग सिगनलमेनों का काम करने के लिए नियुक्त किया जायेगा। ये चारों व्यक्ति फॉग सिगनल ड्यूटी के लिए पूर्ण रूप से प्रशिक्षित अवश्य होने चाहिये और वे "एवजी" कर्मचारी न होकर रेलवे के स्थायी कर्मचारी होने चाहिये। फॉग सिगनलमेनों का काम करने के लिए नियुक्त किये गये चार व्यक्तियों की जगह चतुर्थ श्रेणी के दो या अधिक कर्मचारी स्टेशन पर नियुक्त किये जायेंगे और एक या दो अस्थायी कर्मचारी उस इंजीनियरिंग गैंग में लगाये जायेंगे जिससे स्थायी व्यक्ति लिए गये हों।

(i) दोहरी लाइन के स्टेशन पर यदि महीने में लगभग सात दिन कोहरा पड़ता है तो उसे लगातार पड़ने वाला कोहरा समझना चाहिये और इसके लिए अलग कोहरा पोर्टर नियुक्त किये जाने चाहिये। यदि कोहरा महीने में सात दिन से कम पड़ता है तो स्टेशन मास्टर सहायक नियम 3.61(1)(ञ) के अनुसार काम करेगा, अर्थात् वह ड्यूटी समाप्त किये हुए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से दो को स्टेशन पर पोर्टर के रूप में काम करने के लिए तुरन्त बुलायेगा और ड्यूटी पर के कर्मचारी कोहरा ड्यूटी पर लगाये जायेंगे। ड्यूटी समाप्त किये हुए कर्मचारियों को इस काम के लिए देय समयोपरि

कार्य भत्ता दिया जायेगा और इन कर्मचारियों की सामान्य ड्यूटी में इनके स्थान पर काम करने के लिए एवजी कर्मचारियों को लगाया जायेगा। इस व्यवस्था से कोहरा पोर्टरों को स्थायी रूप से रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और स्थायी कर्मचारियों की जगह एवजी कर्मचारियों की तभी आवश्यकता पड़ेगी जब स्थायी कर्मचारी वास्तव में कोहरा ड्यूटियाँ के लिए काम में लाये गये हो, फिर भी स्मरण रहे कि कोहरा ड्यटी पर केवल स्थायी कर्मचारी ही लगाये जायेंगे।

(ii) इकहरी लाइन के स्टेशनों पर जहाँ स्टेशन पोर्टरों की आवश्यकता टोकन देने के लिए भी होती है, मण्डल रेल प्रबन्धक यह जाँच करें कि कोहरा की अवधि क्या है, और महीने में कितने दिन कोहरा पड़ता है और तब समूचे कार्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय करें कि विशेष कोहरा पोर्टरों की आवश्यकता है या नहीं। यदि कोहरा महीने में एक या दो दिन ही और थोड़ी अवधि के लिए पड़ता है तो प्रत्यक्ष है कि अलग कोहरा पोर्टरों की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसी स्थिति में उपर्युक्त उप पैरा (i) में बतायी गयी विधि के अनुसार काम किया जाना चाहिये।

(ठ) शाखा लाइन पर या जिन सेक्शनों पर यातायात कम हो, वहाँ के कोहरा सिगनल खम्भे पर एक–एक फॉग सिगनलमेन के लगातार रहने के बजाय एक फॉग सिगनलमेन को एक अलग गाड़ी के लिए फॉग सिगनल (पटाखे) लगाने के लिए भेजा जा सकता है यह कार्य विधि विशेष अनुदेशों के अधीन ही अपनायी जा सकती है। ऐसी दशाओं में गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि गाड़ी के पिछले स्टेशन के छूटने के कम से कम तीस मिनट पहले फॉग सिगनलमेन को भेज न दिया हो।

(ड) स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि काम में लिए हुए (विस्फोट हुए) पटाखों के बदले फॉग सिगनलमेनों को नये पटाखों की सप्लाई भेजी जाती है।

(ढ) प्रत्येक स्टेशन पर एक "स्टेशन पटाखा रजिस्टर" अवश्यक रखा जायेगा। इस रजिस्टर का प्रोफार्मा परिशिष्ट "ग" के अन्त में दिया गया है। रजिस्टर में कोहरा सिगनल ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के नाम, उनके ड्यूटियों की अवधि, स्टॉक में रखे गये पटाखों की संख्या, प्रत्येक सिगनलमेन को दिये गये पटाखों की संख्या, ऐसी प्रत्येक गाड़ी का नम्बर जिसके नीचे पटाखे दागे गये हो, और ड्यूटी के स्टेशन मास्टर द्वारा बिना प्रयोग में लाये गये पटाखे और प्रयोग में लाये गये पटाखों के खोल (इनमें वे पटाखे भी शामिल होंगे जिनका विस्फोट न हो सका हो) लौटाने की संख्या अवश्य दर्शायी जाये।

(ण) स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन पर फॉग सिगनलमेनों के रूप में काम करने के लिए भेजे या नियुक्त किये गये सभी कर्मचारियों से "स्टेशन पटाखा रजिस्टर" में इस आशय के लिए हस्ताक्षर करायेगा या अंगूठा लगवायेगा कि वे गाड़ियों को कोहरा सिगनल का प्रयोग करने से संबंधित नियमों को समझते हैं। फॉग सिगनलमेनों के लिए परिशिष्ट "ग" में अनुदेश दिये गये हैं।

(त) कोहरे या तूफानी मौसम या आँधी में जब लाइन की मरम्मत या किसी अन्य हो रहे कार्यों के कारण गाड़ी सावधानी से चलानी हो तो वरि. सेक्शन इंजीनियर(रेलपथ) या गैंगर(मेट), रेलपथ गैंगमेट सामान्य व सहायक नियम 15.09 के अनुसार लाइन के दोनों ओर के पहले सतर्कता सिगनल से 270 मीटर पीछे (बाहर की ओर) लाइन पर पटाखे लगाने के लिए शीघ्रता से स्थायी गैंगमेनों को नियुक्त करने का प्रबन्ध करेगा।

स.नि.3.61(2) इकहरी लाइन सेक्शन के स्टेशनों पर धुंध, कोहरे या तूफानी मौसम में गाड़ियों का क्रॅसिंग करवाना– धुंध, कोहरे या तूफानी मौसम में जब आने वाली गाड़ियों के लोको पायलटों को सिगनलों की स्थिति बताने के लिए सामान्य नियम 3.61 तथा स.नि. 3.61(1)(घ) के अनुसार लाइन पर पटाखे (कोहरा सिगनल) लगाने आवश्यक हो तो गाड़ियों का क्रॉसिंग कराने के लिए कन्ट्रोल वाले सेक्शनों पर कन्ट्रोल द्वारा तथा कन्ट्रोल रहित सेक्शनों पर स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त सावधानियाँ बरती जायेंगी–

(i) कन्ट्रोल वाले सेक्शनों पर अर्थात् लाइन के उन सेक्शनों पर जहाँ स्टेशन टेलीफोन के जरिये कन्ट्रोल ऑफिस और साथ वाले स्टेशनों से सम्बद्ध हो तथा कन्ट्रोल रहित सेक्शनों पर जब मौसम की दशा ऐसी हो कि सामान्य नियम 3.61 तथा स.नि. 3.61(1)(घ) के अनुसार फॉग सिगनलमेनों को तैनात करना हो तो स्टेशन मास्टर इसके बारे में सूचना टेलीफोन से और यदि टेलीफोन न हो तो संदेश जारी करके देगा और दोनों हालातों में अपना प्राइवेट नम्बर भी देगा। सूचना पाने वाला इसी प्रकार का संदेश दोहरा कर सूचना भेजने वाले को संदेश की पावती देगा।

उदाहरणः–
"प्रेषकः–स्टेशन मास्टर "बी"
सेवा में–कन्ट्रोल..... (कन्ट्रोल रहित सेक्शनों में इसे छोड़ दे)
प्रतिलिपि– स्टेशन मास्टर "ए" और "सी"

सं.– 7 बी. फॉग सिगनलमेन आउट 22/30, दिनांक 10 अक्टूबर, प्राइवेट नम्बर 76 (सेवेन्टी सिक्स), सूचना की पावती दे"।

(ii) यात्रियों का परिवहन करने वाली गाड़ियों के निर्धारित क्रॉसिंग के सिवाय, जिनका उल्लेख संचालन समय सारणी में किया गया हो, कन्ट्रोल वाले सेक्शनों पर "कंट्रोल" और कन्ट्रोल रहित सेक्शनों

पर स्टेशन मास्टर किसी स्टेशन पर दो गाड़ियों का क्रॅसिंग तब तक नहीं करवायेगा जब तक की कॉस करने वाली गाड़ियों के स्टेशन पहुँचने के समय में कम से कम 10 मिनट का अन्तर नहीं हो। 10 मिनट का यह अन्तर साधारण चालन समय या चालन समय जिसमें उस समय लागू किसी अस्थायी प्रतिबंध के लिए अनुमत अतिरिक्त समय भी शामिल होगा, के अलावा होगा।

(iii) उपर्युक्त धारा (ii) में निर्धारित विधि नीचे लिखे क्रॅसिंगों के मामले में लागू होगी–

(क) जब एक या दो ऐसी सवारी गाड़ियॉ जिन्हें एक स्टेशन पर कॉस करना हो, आगे निकालना हो या रास्ता देना हो लेट चल रही हों, जिसके कारण क्रॉसिंग दूसरे स्टेशन पर हो।

(ख) जब सवारी गाड़ी का कॉसिंग किसी मालगाड़ी से हो जिसमें एक्सप्रेस मालगाड़ी भी शामिल है, चाहे संचालन समय सारणी में निर्धारित क्रॉसिंग दिखाया गया हो।

(ग) सवारी गाड़ी और अकेला (लाइट) इंजन का क्रॉसिंग।

नोट–"गाड़ी" की परिभाषा के लिए सामान्य नियम 1.02(58) देखें।

(iv) धारा (iii)(ख) और (ग) के अनुसार कॉसिंग की व्यवस्था तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि गैर सवारी गाड़ी या अकेला (लाइट) इंजन पहले आने को नियत न हो ताकि सवारी गाड़ी का डिटेंशन न हो।

(v) किसी स्टेशन पर दो से अधिक गाड़ियों जिनमें से एक सवारी गाड़ी होगी, का क्रॉसिंग कराने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि स्टेशन पर गाड़ियॉ लेने के लिए पर्याप्त संख्या में विधिवत पृथक आगमन लाइनों की व्यवस्था न हो।

नोट–जिन स्टेशनों पर दो से अधिक गाड़ियों के क्रॉसिंग की अनुमति हो वहॉ स्टेशन संचालन नियमों में इसके लिए एक धारा रहेगी।

सा. नि. 3.61 (3) कोहरे के दौरान लोको पायलट द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां:– लोको पायलट कोहरे के दौरान गाड़ी की गति के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही करेगा–

(i) कोहरा होने पर जब लोको पायलट को लगेगा कि कोहरे के कारण दृश्यता बाधित हो रही है, तो वह गाड़ी को कंट्रोल करने वाली स्थिति में चलायेगा, ताकि वह किसी भी बाधा से पहले गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहे। किसी भी स्थिति में, गाड़ी की गति 75 किमीप्रघं से अधिक नहीं होगी।

(ii) गेटमैन (जहॉ तैनात हैं) और सड़क उपयोगकर्ताओं को समपार पर आने वाली गाड़ी के बारे में चेतावनी देने के लिए लोको पायलट लगातार सीटी बजाएगा [एसआर 3.78(4) तथा एसआर 4. 50(10)] ।

(iii) एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में गाड़ी की गति 75 किमीप्रघं से अधिक नहीं होगी, जैसा कि ऊपर मद संख्या (i) में बताया गया है।

(iv) ऑटोमेटिक ब्लॉक क्षेत्र में गाड़ी की गति लोको पायलट के निर्णय के विवेकानुसार होगी जैसा कि ऊपर मद संख्या (i) में बताया गया है और गाड़ी की गति निम्नलिखित स्थितियों में भी नहीं बढ़ाई जाएगी:–

(क) सिगनल 'ग्रीन' होने पर स्वचालित स्टॉप सिग्नल पार करने के बाद गाड़ी की गति 75 किमीप्रघं से नहीं बढ़ाई जाएगी।

(ख) सिगनल 'डबल येलो' होने पर स्वचालित स्टॉप सिग्नल पार करने के बाद गाड़ी की गति 30 किमीप्रघं से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

(ग) 'येलो' सिगनल होने पर स्वचालित स्टॉप सिग्नल पार करने के बाद लोको पायलट गाड़ी को प्रतिबंधित गति पर चलाएगा ताकि वह अगले स्टॉप सिग्नल पर गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहे।

नोट – यदि लोकोमोटिव में फॉग सेफ डिवाइस उपलब्ध नहीं है या डिवाइस रास्ते में विफल हो जाती है, तो ऊपर बताए अनुसार 75 किमीप्रघं की अधिकतम गति को लोको पायलट के निर्णय से 60 किमीप्रघं या उससे कम की जाएगी।

3.62. अवरोध होने पर पटाखे लगाना :–

(1) जब कभी लाइन पर किसी अवरोध के कारण, किसी रेल सेवक के लिए आती हुई गाडियों को रोकना आवश्यक है तो वह साफ तौर पर अपना रोक (स्टांप) हैंड सिगनल दिखाते हुए अवरोध के

स्थान से 400 मीटर आगे जाएगा और वहां लाइन पर एक पटाखा रखेगा । इसके बाद वह अवरोध की जगह से 800 मीटर आगे जाएगा और वहॉ लाइन पर लगभग 10–10 मीटर के अंतर से 3 पटाखे रखेगाः

परन्तु बडी लाइन (ब्रॉड गेज) पर पहला पटाखा अवरोध से 600 मीटर की दूरी पर और 3 पटाखे 1200 मीटर की दूरी पर जो एक दूसरे से लगभग 10 मीटर दूर होगें, रखे जाएंगे।

(2) यदि अवरोध दूर होने से पहले ही उक्त रेल सेवक को बुला लिया जाता है तो वह तीनों पटाखों को वही छोड देगा और लोटते समय बीच के पटाखे को उठा लेगा।

स.नि.3.62.(1) सामान्य नियम 3.62(1) के अनुसार लाइन पर पटाखे रखने के लिए नियुक्त रेल कर्मचारी पटाखे रखने के बाद ऐसे स्थान पर खड़ा होगा, जहॉ से वह आने वाली गाड़ी को अच्छी प्रकार से देख सके और तब तक स्टाप हाथ सिगनल दिखाता रहेगा जब तक कि उसे वापस नहीं बुला लिया जाये।
स.नि.3.62(2) इकहरी और दोहरी लाइनों पर पटाखे लगाना–इकहरी लाइन खण्ड पर लाइन पर रुकावट के दोनों ओर लाइन का बचाव सामान्य नियम 3.62(1) के अनुसार किया जायेगा। दोहरी लाइन खण्ड पर जब भी आने वाली गाड़ी को रोकना आवश्यक हो तो दोनों लाइनों का बचाव उसी प्रकार किया जायेगा। (सामान्य नियम 6.03 भी देखे)

****

26/11/24

उप मुख्य संरक्षा अधिकारी (याता.)

प्रतिः–

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी :–अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर– को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्र.मु.बि.इंजी., प्र.मु.परि.प्रब., प्र.मु.या.इंजी., प्र.मु.इंजी, मु.सि.व दूर सं.इंजी, प्राचार्य क्षे.रे.प.सं.– को सूचनार्थ।

अपर महाप्रबंधक के सचिव– अपर महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।

महाप्रबन्धक के सचिव– महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।